



75  
आज़ादी का  
अमृत महोत्सव  
2023-2024

राष्ट्रीय अकादमी सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर एवं नारकोटिक्स  
आंचलिक परिसर, कानपुर



सत्यमेव जयते



Save Papers Save Tree

NATIONAL ACADEMY  
OF  
CUSTOMS, INDIRECT TAXES & NARCOTICS,  
Zonal Campus, Kanpur

\*\*\*\*\*  
सेवा में,

सभी प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त सीमा शुल्क/सी.जी.एस.टी  
सीमा शुल्क/सी.जी.एस.टी विभाग के सभी प्रधान महानिदेशक/महानिदेशक  
सीमा शुल्क/सी.जी.एस.टी. विभाग के सभी प्रधान अतिरिक्त महानिदेशक/अतिरिक्त महानिदेशक  
सभी प्रधान आयुक्त/सीमा शुल्क आयुक्त/सीमा शुल्क (निवारक)/सी.जी.एस.टी

महोदया/महोदय,

**विषय:** दिनांक 13.09.2023 से 15.09.2023 तक नासिन द्वारा केंद्रीय कर निरीक्षकों के पुष्टिकरण के लिए विभागीय परीक्षा आयोजित करने के संबंध में।

मंत्रालय के पत्र फाइल सं.ए-34011/1/2003 एडी-III.ए, दिनांक 13.08.03 के निर्देशानुसार, नासिन, विभाग के विभिन्न ग्रेडों के अधिकारियों के लिए परीक्षा आयोजित कर रहा है। नासिन, जोनल कैम्पस, कानपुर को जून, 2006 से **केंद्रीय कर निरीक्षकों के पुष्टिकरण के लिए विभागीय परीक्षा** आयोजित करने का कार्य सौंपा गया है। इस परीक्षा में लिखित परीक्षा के कुल पांच प्रश्न पत्र सम्मिलित हैं। 13.09.2023 से 15.09.2023 तक आयोजित की जाने वाली विभागीय परीक्षा की **अनुसूची और पाठ्यक्रम इस पत्र के साथ अनुलग्नक-I** के रूप में संलग्न हैं।

2. नासिन, जोनल कैम्पस, कानपुर के साथ संपर्क व पत्राचार के लिए, प्रत्येक आयुक्तालय/निदेशालय को **एक नोडल अधिकारी नामित करना आवश्यक है**। अतः, अनुरोध है कि इस उद्देश्य के लिए **अपर/संयुक्त आयुक्त रैंक के एक नोडल अधिकारी को नामित किया जाये**। यदि आयुक्तालय/निदेशालय में कोई अपर/संयुक्त आयुक्त रैंक का अधिकारी उपलब्ध नहीं है, तो ही केवल ये आयुक्तालय/निदेशालय उपरोक्त उद्देश्य के लिए **उप/सहायक आयुक्त** को नोडल अधिकारी के रूप में नामित कर सकते हैं।

3. कैंडिडेट कन्ट्रोल अथॉरिटी, कार्यालय एवं परीक्षा के लिए नामित नोडल अधिकारी का विवरण एवं वांछित संख्या में प्रश्न पत्रों के लिए मांग (**अनुलग्नक- II** के रूप में संलग्न एक्सेल (.xlsx) प्रारूप में) को ईमेल के माध्यम से नासिन, जोनल कैम्पस, कानपुर के ईमेल आई.डी. **nacen.kn-up@nic.in** पर भेजा जा सकता है। यह सूचना, **सहायक निदेशक (परीक्षा), नासिन, जोनल कैम्पस, कानपुर को 04.09.2023 तक अवश्य पहुंच जानी चाहिए**। कृपया ध्यान दें कि इसके बाद प्राप्त सूचना/मांग पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।

4. उक्त परीक्षा के लिए **प्रश्न पत्र-I (केंद्रीय उत्पाद शुल्क) पासवर्ड संरक्षित (.pdf) प्रारूप में नामित नोडल अधिकारी को केवल ई-मेल के माध्यम से दिनांक 12.09.2023 को भेजा जायेगा**। संबंधित मेल स्वीकार होने पर, तत्काल नासिन, जोनल कैम्पस, कानपुर को उत्तर/पावती भेजा जाना अपेक्षित है। **.pdf** फाइल खोलने के लिए पासवर्ड परीक्षा के निर्धारित समय से **40 मिनट पहले नोडल अधिकारी को उनकी ईमेल आई.डी. पर प्रदान किया जाएगा**। शेष सभी प्रश्नपत्र (**.pdf**) पासवर्ड सहित **परीक्षा की निर्धारित तिथि और समय से 40 मिनट पहले भेजे जाएंगे**। प्राधिकृत अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि परीक्षा निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आयोजित की जाए।

I/1318481/2023

5. यह नोटिस CBIC और NACIN की वेबसाइट [www.cbic.gov.in](http://www.cbic.gov.in) और [www.nacin.gov.in](http://www.nacin.gov.in) पर भी पोस्ट की जाती है।
6. **विभागीय परीक्षा (केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क) नियम, 2008 (जी.एस.आर.217 दिनांक 20.12.2008 )** में उल्लिखित निर्देशों के अनुसार नियंत्रित की जाएगी अतः हिंदी की परीक्षा में सम्मिलित होने अथवा न होने से सम्बंधित निर्णय, संबंधित क्षेत्राधिकार वाले आयुक्तालयों/निदेशालय के द्वारा लिया जाना अपेक्षित है। इस संबंध में नासिन, जोनल कैंपस, कानपुर द्वारा किसी प्रकार का कोई प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
7. श्रेणी-वार (आरक्षित एवं/अथवा गैर-आरक्षित) के उत्तीर्णक एवं परीक्षा में बैठने की पात्रता से संबंधित निर्णय हेतु भी कोई प्रत्यावेदन नासिन, जोनल कैंपस, कानपुर द्वारा स्वीकार नहीं किया जायेगा क्योंकि ये निर्णय लेने का अधिकार भी संबंधित क्षेत्राधिकार आयुक्तालयों/निदेशालयों के पास ही है।
8. **'परीक्षा के लिए निर्देश'** इस पत्र के साथ संलग्न हैं और इसका अभिन्न अंग हैं। इस संबंध में किसी भी सूचना के लिए कोई हार्डकॉपी नहीं भेजी जाएगी।
9. किसी भी कठिनाई के स्तिथि में, नासिन, जोनल कैंपस, कानपुर के कार्यालय के फोन नंबर 0512-2580682 और ईमेल पते [nacen.kn-up@nic.in](mailto:nacen.kn-up@nic.in) पर अथवा आवश्यक होने पर श्री ए.एच. सिद्दीकी, सहायक निदेशक (मो. नं. 9455753466) या श्री विनय कुमार निगम, इंस्पेक्टर (मो.नं.9935502719) से संपर्क किया जा सकता है।

भवदीय,

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

(मिलिंद आर लांजेवार)  
अपर महानिदेशक